

संख्या 7/01/2020/आरआई&आरटीआई-भाग
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली
दिनांक: 6 फरवरी, 2023

कार्यालय आदेश

इस विभाग के इस संबंध में पहले के आदेशों के अधिक्रमण में, सक्षम प्राधिकारी ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अंतर्गत निम्नलिखित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (CPIOs) और अपीलीय प्राधिकारियों (AAs) को तुरंत प्रभाव से उल्लिखित/आबंटित विशिष्ट/मामलों के लिए नामित करने की मंजूरी दे दी है:

क्रम सं.	सीपीआईओ का नाम, पदनाम और पता तथा दूरभाष	आवंटित विषय	अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम और पता, दूरभाष
1	श्री उमेश शंकर प्रसाद, अवर सचिव, प्रशासन-प्रथम तल, 1 चंद्रलोक बिल्डिंग, नई दिल्ली, दूरभाष 011-23310344	(i) मत्स्यपालन विभाग (प्रशासन- V) के अंतर्गत मुख्यालय (प्रशासन-1), संगठन/अधीनस्थ संस्थान, एनएफडीबी और सीएए की स्थापना/प्रशासन संबंधी मामले। (ii) नकद अनुभाग से संबंधित मामले (iii) सतर्कता से संबंधित मामले (iv) आर एंड आई अनुभाग (v) इस विभाग में राजभाषा से संबंधित मामले	श्री सुशील कुमार झा , उप सचिव (प्रशासन), तल, चंद्रलोक भवन, नई दिल्ली. दूरभाष 011-23310338
2	श्री एंसी मैथ्यू, सहायक आयुक्त (वित्त) प्रथम तल चंद्रलोक बिल्डिंग नई दिल्ली, टेलीफोन नंबर 011-23310351 (एक्सटेंशन 228)	(1) अंतर्देशीय मात्स्यिकी से संबंधित सभी मामले (पीएमएमएसवाई, केसीसी, एफआईडीएफ) (ii) एकाकल्चर पॉलिसी, रिवर रैंचिंग, केज (एफ एंड पेन कल्चर वॉर) (iii) फिशकोफेड, ऑनमिंटल फिशरीज (iv) मत्स्यपालन विभाग के अंतर्गत संगठनों/अधीनस्थ संस्थानों, एनएफडीबी	श्री राकेश कुमार, उपायुक्त प्रथम तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, नई दिल्ली, टेलीफोन नंबर 011-23310351 (एक्सटेंशन : 227)

		और सीएए से संबंधित सभी तकनीकी मामले (v) मात्स्यिकी सांख्यिकी, सोशल मीडिया, आईटी आदि से संबंधित सभी मामले (vi) हैचरीज़ ब्लडस्टॉक मल्टीप्लीकेशन सेंटर (BMC), न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर से संबंधित सभी मामले (vii) जलीय पशु स्वास्थ्य संगरोध, NSPAAD और रोग एवं निगरानी एवं नियंत्रण से संबंधित मामले (viii) बजट से संबंधित (ix) नीली क्रांति के शेष मामले (x) जलीय पशु स्वास्थ्य एवं संगरोध, एनएसपीएएडी एवं रोग निगरानी एवं नियंत्रण से संबंधित मामले (xi) अंतर्राष्ट्रीय मात्स्यिकी से संबंधित कोई भी शेष मामले	
3	श्री एम.के. फोफंडी , सहायक आयुक्त, प्रथम तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, नई दिल्ली, टेलीफोन नंबर 011-23310351	(i) समुद्री मात्स्यिकी से संबंधित सभी मामले (ii) हार्बर और फिश लैंडिंग केंद्रों से संबंधित सभी मामले (iii) आर्टिफिशियल रीफ और सी रेंचिंग से जुड़े सभी मामले (iv) द्वीपों और खारे पानी में मात्स्यिकी के विकास से संबंधित मामले (v) सी वीड कल्टीवेशन और मूल्य श्रृंखला सहित समुद्री कृषि से संबंधित मामले (vi) मरीन फिशरीज़ के MCS से जुड़े सभी मामले, जिसमें रियल क्राफ्ट, बायो-मेट्रिक QR कोड और मछुआरों के लिए आधार कार्ड शामिल हैं। (vii) तटीय सुरक्षा और पाल्क बे मुद्दा (viii) स्टार्टअप और इनक्यूबेटर से संबंधित मामले और एफडीआई और क्रेडिट प्रवाह सहित निवेश संबंधी मामले	श्री राजीव प्रताप दुबे , आयुक्त तल, प्रथम चंद्रलोक भवन, नई दिल्ली, टेलीफोन नंबर 011-23310351 (एक्सटेंशन : 202)

		(ix) मल्टीलेटरल और बाइलेटरल फंडिंग एजेंसियों यानी वर्ल्ड बैंक, ADB, AFD, FIDF वगैरह से जुड़े मामले (x) एमपीईडीए मामलों सहित व्यापार, निर्यात से संबंधित मामले (xi) समुद्री प्रदूषण से संबंधित मामले (xii) आईसीएआर/डीएसटी/सीएसआईआर के साथ अनुसंधान और समन्वय (xiii) आईओटीसी और डब्ल्यूटीओ मामलों सहित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) से संबंधित मामले (xiv) अंतर-राज्यीय परिषद से संबंधित मामले (xi) समुद्री मात्स्यिकी से संबंधित कोई भी शेष मामले	
--	--	--	--

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) के अनुसार, नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए यदि आवश्यक समझे तो इस विभाग के किसी अन्य संबंधित अधिकारी से सहायता ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 5(5) के अनुसार, कोई भी अधिकारी, जिसकी सहायता उप-धारा (4) के अंतर्गत मांगी गई है, सहायता मांगने वाले केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अन्य अधिकारी को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी माना जाएगा।

3. इसे सचिव (मात्स्यिकी) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(उमेश शंकर प्रसाद)
अवर सचिव भारत सरकार
दूरभाष: 011-23310344

प्रति:

- (i) सभी सीपीआईओ और एए
- (ii) वित्त विभाग के सभी उप निदेशक/निदेशक/अवर सचिव/एसी/एडी स्तर के अधिकारी (ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड के माध्यम से)

सूचनार्थ प्रतिलिपि:-

- i. मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री के निजी सचिव।
- ii. मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री के निजी सचिव ।
- iii. सचिव (मात्स्यिकी) के प्रधान निजी सचिव।
- iv. संयुक्त सचिव (मरीन एवं सीवीओ) के निजी सचिव।
- v. संयुक्त सचिव (आई एंड ए) के निजी सचिव तथा आरटीआई के नोडल अधिकारी।
- vi. निदेशक (आईआर), डीओपीटी , नॉर्थ ब्लॉक।
- vii. एनआईसी, मत्स्यपालन विभाग - ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोड करने के लिए।